न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर०ए०एस०)

अपील/52/2018

1–जगदीश दत्तक पुत्र स्व0 श्री रामनारायन जाति मीना निवासी ग्रांम नयावास ब्रहमवाद तहसील बयाना जिला भरतपुर (मृतक)

1/1–किन्नो बेबा जगदीश
1/2–विजयसिंह पुत्र जगदीश
1/3–किशनसिंह पुत्र जगदीश
1/4–ओमप्रकाश पुत्र जगदीश
1/5–पपीता पुत्री जगदीश
1/6– रजनी पुत्री जगदीश

} जाति मीना निवासी ग्रांम नयावास ब्रहमवाद तहसील बयाना जिला भरतपुर

....अपीलान्टान

बनाम

1– तहसीलदार बयाना

2–बद्रीपुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी नयावास, तहसील बयाना

3–राजेश पुत्र चंदन ।– जाति मीना निवासी गुदावली तहसील नदबई

4–गव्वे पुत्र चंदन । जिला भरतपुर

5. किन्नो पुत्री रामहेत

6. परवो पुत्री रामहेत
7. पारो पुत्र रामहेत
8. छीतर पुत्र रामस्वरुप

} जाति मीना निवासी नयावास तहसील बयाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

9–भोले पुत्र रामस्वरुप

10–उगन्ती पुत्री रामस्वरुप

11– दीपक । पुत्रगण कलुआ अल्प वयस्कगण द्वारा मां निवासी चैटोली

12–राहूल । तहसील भुसावर जिला भरतपुर

13–बलराम पुत्र रामसिंह

14–बत्तो पुत्र रामसिंह

15–ताया पुत्री रामसिंह — जाति मीना निवासी नयावास (ब्रहमवाद)

16–लक्ष्मी पुत्री रामसिंह — तहसील बयाना जिला भरतपुर

17–वीरसिंह पुत्र करनसिह

18–चुनिया पुत्री करनसिह

19–फूलवती पुत्री करनसिह

20–कल्लो पुत्री रामनाथ

........रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एवं राजस्थान भू–रामस्व अधिनियम विरुद्व आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 28–05–2018 बाबत प्रकरण संख्या 52/18 प्रार्थना पत्र दाखिल खारिज।

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 28.05.2018 इस आशय की पेश की है कि संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.2018 को तहसीलदार बयाना के समक्ष गोदनामा के आधार पर मृतक रामनारायण पुत्र बंशीलाल मीणा की जमीन कृषि भूमि ग्रांम ब्रहमबाद पर अपने हक में दाखिल खारिज दर्ज कराये जाने हेतु पेश किया गया था। तहसीलदार बयाना ने उक्त प्रार्थी/अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपने आदेश दिनांक 28.5.2018 द्वारा निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। जिसके खिलाफ ये अपील पेश की गई है।

अपील/53/2018

1–जगदीश दत्तक पुत्र स्व0 श्री रामनारायन जाति मीना निवासी ग्रांम नयावास ब्रहमवाद तहसील बयाना जिला भरतपुर (मृतक)

1/1–किन्नो बेबा जगदीश
1/2–विजयसिंह पुत्र जगदीश
1/3–किशनसिंह पुत्र जगदीश
1/4–ओमप्रकाश पुत्र जगदीश
1/5–पपीता पुत्री जगदीश
1/6– रजनी पुत्री जगदीश

} जाति मीना निवासी ग्रांम नयावास ब्रहमवाद तहसील बयाना जिला भरतपुर

....अपीलान्टान

बनाम

1– तहसीलदार बयाना

2–बद्री पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी नयावास, तहसील बयाना

3–राजेश पुत्र चंदन ।– जाति मीना निवासी गुदावली तहसील नदबई

4–गव्वे पुत्र चंदन । जिला भरतपुर

5. किन्नो पुत्री रामहेत
6. परवो पुत्री रामहेत
7. पारो पुत्र रामहेत
8. छीतर पुत्र रामस्वरुप

} जाति मीना निवासी नयावास तहसील बयाना

9–भोले पुत्र रामस्वरुप

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

10–उगन्ती पुत्री रामस्वरुप

11– दीपक । पुत्रगण कलुआ अल्प वयस्कगण द्वारा मां निवासी चैटोली

12–राहूल । तहसील भुसावर जिला भरतपुर

13–बलराम पुत्र रामसिंह

14–बत्तो पुत्र रामसिंह

15–ताया पुत्री रामसिंह

16–लक्ष्मी पुत्री रामसिंह

17–वीरसिंह पुत्र करनसिह

} जाति मीना निवासी नयावास (ब्रहमवाद) तहसील बयाना जिला भरतपुर

18–चुनिया पुत्री करनसिह

19–फूलवती पुत्री करनसिह

20–कल्लो पुत्री रामनाथ

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्व आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 13–08–2018 बाबत नामान्तरकरण संख्या 647 ग्रांम नयावास (ब्रहम्वाद) तहसील बयाना।

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 13.08.2018 पेश की गई है। तहसीलदार बयाना ने अपने आदेश दिनांक 13.08.2018 से मृतक नारायण पुत्र बंशी जाति मीना का विरासतन नामान्तरकरण संख्या 647 रेस्पो0 के हक में खोला जाकर स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त स्वीकार किये गये नामान्तरकरण से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील/54/18

1–जगदीश दत्तक पुत्र स्व0 श्री रामनारायन जाति मीना निवासी ग्रांम नयावास ब्रहमवाद तहसील बयाना जिला भरतपुर (मृतक)

1/1–किन्नो बेबा जगदीश
1/2–विजयसिंह पुत्र जगदीश
1/3–किशनसिंह पुत्र जगदीश
1/4–ओमप्रकाश पुत्र जगदीश
} जाति मीना निवासी ग्रांम नयावास ब्रहमवाद तहसील बयाना जिला भरतपुर

1/5–पपीता पुत्री जगदीश

1/6– रजनी पुत्री जगदीश

....अपीलान्टान

बनाम

1– तहसीलदार बयाना

2–बद्री पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी नयावास, तहसील बयाना

3–राजेश पुत्र चंदन ।– जाति मीना निवासी गुदावली तहसील नदबई

4–गव्वे पुत्र चंदन । जिला भरतपुर

5. किन्नो पुत्री रामहेत
6. परवो पुत्री रामहेत
7. पारो पुत्र रामहेत
8. छीतर पुत्र रामस्वरुप
} जाति मीना निवासी नयावास तहसील बयाना

9–भोले पुत्र रामस्वरुप

10–उगन्ती पुत्री रामस्वरुप

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

11– दीपक । पुत्रगण कलुआ अल्प वयस्कगण द्वारा मां निवासी चैटोली

12–राहूल । तहसील भुसावर जिला भरतपुर

13–बलराम पुत्र रामसिंह

14–बत्तो पुत्र रामसिंह

15–ताया पुत्री रामसिंह जाति मीना निवासी नयावास (ब्रहमवाद)

16–लक्ष्मी पुत्री रामसिंह तहसील बयाना जिला भरतपुर

17–वीरसिंह पुत्र करनसिह

18–चुनिया पुत्री करनसिह

19–फूलवती पुत्री करनसिह

20–कल्लो पुत्री रामनाथ

........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्व आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 12–8–2018 बाबत नामान्तकरण संख्या 886 ग्रांम कोठी खेड़ा तहसील बयाना।

अंपीलान्ट द्वारा यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 12.08.2018 पेश की गई है। तहसीलदार बयाना ने अपने आदेश दिनांक 12.08.2018 से मृतक रामनारायण पुत्र बंशी जाति मीना का विरासतन नामान्तरकरण संख्या 886 रेस्पो0 के हक में खोला जाकर स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त स्वीकार किये गये नामान्तरकरण से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील/55/18

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

1–जगदीश दत्तक पुत्र स्व0 श्री रामनारायन जाति मीना निवासी ग्रांम नयावास ब्रहमवाद तहसील बयाना जिला भरतपुर (मृतक)

1/1–किन्नो बेबा जगदीश
1/2–विजयसिंह पुत्र जगदीश
1/3–किशनसिंह पुत्र जगदीश
1/4–ओमप्रकाश पुत्र जगदीश
} जाति मीना निवासी ग्रांम नयावास ब्रहमवाद तहसील बयाना जिला भरतपुर

1/5–पपीता पुत्री जगदीश

1/6– रजनी पुत्री जगदीश

....अपीलान्टान

<u>बनाम</u>

1– तहसीलदार बयाना

2–बद्री पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी नयावास, तहसील बयाना

3–राजेश पुत्र चंदन ।– जाति मीना निवासी गुदावली तहसील नदबई

4–गव्वे पुत्र चंदन । जिला भरतपुर

5. किन्नो पुत्री रामहेत
6. परवो पुंत्री रामहेत
7. पारो पुत्र रामहेत
8. छीतर पुत्र रामस्वरुप
} जाति मीना निवासी नयावास तहसील बयाना

9–भोले पुत्र रामस्वरुप

10–उगन्ती पुत्री रामस्वरुप

11– दीपक
12–राहूल
} पुत्रगण कलुआ अल्प वयस्कगण द्वारा मां निवासी चैटोली तहसील भुसावर जिला भरतपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

13--बलराम पुत्र रामसिंह
14--बत्तो पुत्र रामसिंह
15--ताया पुत्री रामसिंह
16--लक्ष्मी पुत्री रामसिंह
17--वीरसिंह पुत्र करनसिह

} जाति मीना निवासी नयावास (व्रहमवाद) तहसील बयाना जिला भरतपुर

18--चुनिया पुत्री करनसिह
19--फूलवती पुत्री करनसिह
20--कल्लो पुत्री रामनाथ

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्व आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 12-08-2018 बाबत नामान्तरकरण संख्या 511 ग्रांम नगला खटका तहसील बयाना।

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 12.08.2018 पेश की गई है। तहसीलदार बयाना ने अपने आदेश दिनांक 12.08.2018 से मृतक नारायण पुत्र बंशी जाति मीना का विरासतन नामान्तरकरण संख्या 511 ग्रांम नगला खटका तहसील बयाना, रेस्पो0 के हक में खोला जाकर स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त स्वीकार किये गये नामान्तरकरण से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

<u>अपील/56/18</u>

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

1–जगदीश दत्तक पुत्र स्व0 श्री रामनारायन जाति मीना निवासी ग्रांम नयावास ब्रहमवाद तहसील बयाना जिला भरतपुर (मृतक)

1/1–किन्नो बेबा जगदीश
1/2–विजयसिंह पुत्र जगदीश
1/3–किशनसिंह पुत्र जगदीश
} जाति मीना निवासी ग्रांम नयावास ब्रहमवाद तहसील बयाना जिला भरतपुर

1/4–ओमप्रकाश पुत्र जगदीश

1/5–पपीता पुत्री जगदीश

1/6– रजनी पुत्री जगदीश

....अपीलान्टान

<u>बनाम</u>

1– तहसीलदार बयाना

2–बद्री पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी नयावास, तहसील बयाना

3–राजेश पुत्र चंदन ।– जाति मीना निवासी गुदावली तहसील नदबई

4–गव्वे पुत्र चंदन । जिला भरतपुर

5. किन्नो पुत्री रामहेत
6. परवो पुत्री रामहेत
} जाति मीना निवासी नयावास तहसील बयाना

7. पारो पुत्र रामहेत

8. छीतर पुत्र रामस्वरुप

9–भोले पुत्र रामस्वरुप

10–उगन्ती पुत्री रामस्वरुप

11– दीपक । पुत्रगण कलुआ अल्प वयस्कगण द्वारा मां निवासी चैटोली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

12–राहूल । तहसील भुसावर जिला भरतपुर

13–बलराम पुत्र रामसिंह

14–बत्तो पुत्र रामसिंह

15–ताया पुत्री रामसिंह — जाति मीना निवासी नयावास (ब्रहमवाद)

16–लक्ष्मी पुत्री रामसिंह — तहसील बयाना जिला भरतपुर

17–वीरसिंह पुत्र करनसिह

18–चुनिया पुत्री करनसिह

19–फूलवती पुत्री करनसिह

20–कल्लो पुत्री रामनाथ

........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्व आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 13–08–2018 बाबत नामान्तरकरण संख्या 397 ग्रांम नयावास (ब्रहमवाद) तहसील बयाना।

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 13.08.2018 पेश की गई है। तहसीलदार बयाना ने अपने आदेश दिनांक 13.08.2018 से मृतक रामनारायण पुत्र बंशी जाति मीना का विरासतन नामान्तरकरण संख्या 397 ग्रांम नयावास (ब्रहमवाद) तहसील बयाना, रेस्पो0 के हक में खोला जाकर स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त स्वीकार किये गये नामान्तरकरण से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश शर्मा, एडवोकेट अपीलान्ट
2. श्री पंकज कुमार, एडवोकेट अपीलान्ट
3. पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 27.09.2021

उक्त अपीलों को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 की तलबी की गई। पत्रावली तहत तलब की गई। रेस्पो0 एवं उनके अभिभाषक बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

उक्त अपीलों में एक ही पक्षकारान एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण उक्त प्रकरणों की एक ही बहस सुनी जाकर इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अपीलों में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि खातेदार स्व0 रामनारायण ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट को गोद लिया था जिसके लिये गोदनामा 100/– रुपये के स्टाम्प पर दिनांक 23.01.1995 को तहरीर कराया था। गोदनामा पर गवाहन के हस्ताक्षर भी कराये गये थे। यह गोदनामा मृतक रामनारायण ने अपीलान्ट के पिता को दे दिया था। तहसीलदार के समक्ष गोदनामा के आधार पर नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक में खोले जाने हेतु आवेदन दिया था। तहसीलदार ने गोदनामा के सम्बन्ध में अखवार में विज्ञप्ति जारी कराई जाकर आपत्तियॉ मांगी गई थी। निर्धारित समय में कोई आपत्ति तहत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुई। योग्य अभिभाषक का कहना है कि गोदनामा अनडिस्प्यूटेड हैं परन्तु फिर भी तहसीलदार ने अपीलान्ट के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

गोदनामें के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है जो नियमों के विपरीत है। तहत न्यायालय ने विरासत के सम्बन्ध में जो जांच की है वह गतई गलत व विधि विरुद्व की है और मनमाने तरीके से गवाही आदि लेकर अपीलार्थी को मृतक का दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया है जब कि प्रथम तो दत्तक नामान्तरकरण की जांच करने का उसमें उत्पन्न विवाद को तय करने का अधिकार क्षेत्र नही है। इसलिए जांच आदेश व उस आधार पर जारी आदेश अधिकार क्षेत्र से परे होने के कारण शून्य है निरस्त किये जावे। नामान्तरकरण की पीठ पर अंकित सजरा कतई गलत है और अधूरा है उक्त सजरे के आधार पर हक विरासत उत्तरवादी को नहीं मिलता है क्यों कि मीना अनुसूचित जन जाति वर्ग में आती है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। "मीना" जाति में गोद लिये जाने का रीति रिवाज एवं प्रथा प्रचलित है इसलिए गोदनामा लिखित होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। उनका यह भी कथन है कि बद्रीनारायण का गोदनामा तो फैसल कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण में तहसीलदार ने लड़कियों का हिस्सा दिया है जो गलत है। विवादित आराजी पर मोके पर कब्जा काश्त अपीलार्थी स्व0 रामनारायन के जीवन काल से चला आ रहा है अपीलार्थी ने मृतक के किया कर्म व ब्रहमभोज आदि सभी रश्में पूरी की है। मृतक रामनारायन के स्थान पर मृतक की विवादित आराजी पर अपीलान्ट अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। उक्त अपीलें अपीलान्टान स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाकर अपीलार्थी को विवादित आराजी का दाखिल खारिज स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना की गई। योग्य अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में आर. आर.टी. (2) पेज 901 उद्धरत किये।

योग्य राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने गोदनामें के बाबत गवाहन तलब किये गये हैं। गोदनामा पर हस्ताक्षरित गवाहन सभी फोत होने के कारण उनके बयान नहीं लिये जा सके । अन्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत गवाहन के बयान लिये जाकर शामिल मिसिल किये गये हैं। उनका यह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

भी कहना है कि अपीलान्ट को मूल गोदनामा प्रस्तुत करने बाबत कहां गया है परन्तु उनके द्वारा असल गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। राजकीय अभिभाषक का यह भी तर्क है कि नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिसकिल प्रोसिडिंग है इसमें किसी के हक हकूक तय नहीं होते हैं। मृतक रामनारायण का गोदनामा पक्षकारान के मध्य विवादित हैं। तहत न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश जारी किये गये हैं। विचाराधीन अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती हैं।

हमने पत्रावलियों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथन पर गौर किया गया। पत्रावलीयों में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया। अपीलों में उठाये गये बिन्दूओं एवं योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों को मध्ये नजर रखते हुये विधि का अवलोकन किया गया।

हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 का अवलोकन किया गया।

उक्त अधिनियम के अध्याय-2 की धारा 10. व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं- कोई भी व्यक्ति दत्तक के लिए जाने के योग्य न होगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों, अर्थातः-

1-वह हिन्दू है,

2-वह पहले ही से दत्तक नहीं लिया जा चुका है, या ली जा चूकी है,

3-उसका विवाह नहीं हुआ है, जब कि सिवाय जब कि पक्षकारों को लगू होने वाली ऐसी रुढ़ि या प्रथा हो जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो,

4-उसने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तब के सिवाय जब कि पक्षकारों का लागू होने वाली कोई ऐसी रुढि या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

जिन्होने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो।

तहत न्यायालय द्वारा हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जांच की गई हो ऐसा कोई उल्लेख अपीलाधीन आदेश में कोई विवेचना नहीं की गई है।

तहत न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा गोदनामें में गवाह के रूप में जिनके हस्ताक्षर है उनको तलब किया गया परन्तु तामील कुनिन्दा द्वारा उनका फौत होना जाहिर किया गया। अपीलान्ट द्वारा स्वयं गवाह प्रस्तुत कर बयान कराये गये। पत्रावली न्याय आपके द्वार कैंप में भी दिनांक 15.05.2018 को पेश हुई, जहां अपीलान्ट को मूल गोदनामा प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया परन्तु अपीलान्ट द्वारा असल गोदनामा तहत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया केवल मात्र गोदनामें की तहत न्यायालय में फोटो प्रति ही प्रस्तुत की गई है।

नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिसिकल प्रोसिंडिग है। नामान्तरकरण कार्यवाही में इसमें किसी पक्षकार के हक हकूक तय नहीं किये जाते हैं। नामान्तरकरण कार्यवाही भेज राजस्व हानि ना हो को मध्यनजर रखते हुये संक्षित जांच कर सम्पादन किया जाता है।

जहाँ तक प्रश्न मृतक रामनारायण के विरासतन खोले गये अपीलाधीन नामान्तरकरणों का है। राजस्व रिकार्ड में मृतक रामनायण पुत्र बंशी जाति मीना जो कि अनुसुचित जन जाति का सदस्य है। अनुसूचित जन जाति वर्ग पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है, अनुसूचित जन जाति वर्ग का उत्तराधिकार इनकी प्रथा रुढि के अनुसार आता है। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश में लड़कियों को भी हिस्सा दिया गया है जो अनुसूचित जन जाति वर्ग में प्रचिलित प्रथा, रुढी के खिलाफ होने से समर्थन योग्य नहीं पाते हैं। उक्त प्रकरणों को मृतक रामनारायण पुत्र बंशी जाति मीना की विरासत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

मुताबिक अनुसुचित जन जाति में प्रचिलित प्रथा, रुढी के अनुसार जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार निर्णय किये जाने हेतु तहसीलदार बयाना को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील संख्या 52/18, 53/18, 54/18, 55/18, एवं 56/18 स्वीकार की जाती हैं, उक्त प्रकरणों में तहसीलदार बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार बयाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर देकर मृतक रामनारायण पुत्र बंशी जाति मीना की विरासत मुताबिक अनुसुचित जन जाति में प्रचिलित प्रथा, रुढी के अनुसार एवं मूल गोदनामा के सम्बन्ध में जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहसीलदार बयाना से प्राप्त तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)